न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00048 दायरा दिनांक : 01.04.2019

उनवान

भगत बाई बेवा कालूराम, जाति ब्राहमण, निवासी जगदीशपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– रतन सिंह आत्मज गमेंर सिंह, जाति राजपूत,
2– राजाबाई पत्नी रतन सिंह (मृतक), जाति राजपूत जर्ये कायम
मुकामान :–
2/1–गोरधन सिंह पुत्र राजा बाई
2/2–भारत सिंह पुत्र राजा बाई
2/3–जसकंवर पुत्र राजा बाई
3– अमर सिंह पुत्र भैरू सिंह, जाति राजपूत,
अकवाम निवासीगण ग्राम जगदीशपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
4– गोरीलाल पुत्र नाराण, जाति ब्राहमण,
5– बाबूलाल पुत्र नाराण, जाति ब्राहमण,
अकवाम निवासीगण जगदीशपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
6– हडमत सिंह पिता अर्जुन सिंह, जाति राजपूत
7– थान सिंह पिता अर्जुन सिंह, जाति राजपूत
अकवाम निवासीगण ग्राम जगदीशपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
8– राधेश्याम पुत्र दुर्गाशंकर, जाति ब्राहमण
9– पार्वती पुत्री दुर्गाशंकर, जाति ब्राहमण
10– उषा कुमारी पुत्री दुर्गाशंकर, जाति ब्राहमण
11– श्यामा देवी पुत्री दुर्गाशंकर, जाति ब्राहमण
12– विद्या देवी बेवा दुर्गाशंकर, जाति ब्राहमण
अकवाम निवासीगण ग्राम डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
13– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब गंगधार, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2019/00049 दायरा दिनांक : 01.04.2019

उनवान

भगत बाई बेवा कालूराम, जाति ब्राहमण, निवासी जगदीशपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– रतन सिंह आत्मज गमेंर सिंह, जाति राजपूत,
2– राजाबाई पत्नी रतन सिंह (मृतक), जाति राजपूत जर्ये कायम
मुकामान :–
2/1–गोरधन सिंह पुत्र राजा बाई
2/2–भारत सिंह पुत्र राजा बाई
2/3–जसकंवर पुत्र राजा बाई
3– अमर सिंह पुत्र भैरू सिंह, जाति राजपूत,
अकवाम निवासीगण ग्राम जगदीशपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
4– गोरीलाल पुत्र नाराण, जाति ब्राहमण,
5– बाबूलाल पुत्र नाराण, जाति ब्राहमण,
अकवाम निवासीगण जगदीशपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
6– हडमत सिंह पिता अर्जुन सिंह, जाति राजपूत
7– थान सिंह पिता अर्जुन सिंह, जाति राजपूत
अकवाम निवासीगण ग्राम जगदीशपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
8– राधेश्याम पुत्र दुर्गाशंकर, जाति ब्राहमण
9– पार्वती पुत्री दुर्गाशंकर, जाति ब्राहमण

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

10– उषा कुमारी पुत्री दुर्गाशंकर, जाति ब्राहमण
11– श्यामा देवी पुत्री दुर्गाशंकर, जाति ब्राहमण
12– विद्या देवी बेवा दुर्गाशंकर, जाति ब्राहमण
अकवाम निवासीगण ग्राम डग, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़
13– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब गंगधार, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री सी. पी. खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 23.04.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या 168/2016 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.06.2016 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 04.01.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 209, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम जगदीशपुरा जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता क्रमांक 173 खसरा नं0 849 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खाता क्रमांक 175 खसरा नं. 823 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा क्र0 837 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा क्र0 845 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा क्र0 846 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 4 जुमला रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, खाता क्र0 174 खसरा क्र0 824 रकबा 3 बिस्वा, खाता क्र0 240 के खसरा क्र0 848 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा तथा खाता क्र0 239 के खसरा क्र0 847 रकबा 18 बिस्वा स्थित है। जमाबंदियों में वादिया का नाम शामलाती दर्ज है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.06.2016 से वाद वादिया आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम जगदीशपुरा, तहसील गंगधार के खाता संख्या 175 जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खसरा नं. 823 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा क्र0 837 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा क्र0 845 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा क्र0 846 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि का बंटवारा वादिया एवं प्रतिवादी नं. 4 लगायत 6 एवं प्रतिवादी नं. 8 लगायत 12 के मध्य वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी किये जाने के आदेश दिये एवं बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत तहसीलदार गंगधार से मंगवाये जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 04.01.2017 से वादग्रस्त आराजी ग्राम जगदीशपुरा के खाता संख्या 175 किता 4 रकबा 5.18 बीघा भूमि का बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर बंटवारा प्रस्ताव वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य खाते पृथक–पृथक किये जाने व कब्जा वादीगण को दिलवाये जाने के आदेश दिये। तहसीलदार गंगधार व पटवारी हल्का को पालना कर पालना रिर्पोट प्रेषित करने हेतु लिखा जावे। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह दोनों अपीले पेश की।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपील संख्या 2019/00048 का निर्णय एवं फाईनल डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में केम्प कोर्ट जगदीशपुरा में, न्याय आपके द्वारा 2016 के अन्तर्गत पत्रावली केम्प कोर्ट में रखकर विवादित आराजी के मामले में अपीलांट वादिनी का वाद निर्णित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद में दिनांक 15.03.2016 को प्रतिवादी कम 2 के कायम मुकामान बनाये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी में दिनांक 11.04.2016

(समता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तारीख पेशी नियत की गई थी और दिनांक 11.04.2016 को न्यायालय का बहिष्कार करने के कारण पत्रावली में दिनांक 23.05.2016 को तारीख पेशी नियत कर दी। इस दिनांक को पत्रावली पेशी में नहीं लेकर दिनांक 15.06.2016 को अपीलांट की गैर मौजूदगी में प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया जो अवैधानिक है।

लोक अदालत के अन्तर्गत कानूनन केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्ष राजीनामे के लिए आवेदन करें और राजीनामा प्रस्तुत होने पर नियमानुसार राजीनामा तस्दीक किया जावे। विवादित मामले में अपीलांट दिनांक 15.06.2016 को हाजिर नहीं थी और न ही आदेशिका पर उसका अंगूठा निशानी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामे के अभाव में प्रकरण का निस्तारण नहीं करना चाहिए। राजीनामा प्रस्तुत न होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का निर्णय न कर विधिवत रूप से आदेश दिनांक 15.03.2016 की पालना में प्रतिवादीगण को तलब करते हुए उन्हें जवाब का अवसर प्रदान करते हुए व अपीलांट को रेस्पोडेंट की साक्ष्य लेने के बाद ही प्रकरण का विधिवत रूप से निर्णय करना चाहिये। साक्ष्य के बिना अपीलांट के दावे को अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ नम्बरान की आराजी के मामले में दावा अस्वीकार कर दिया जबकि अपीलांट को दावा साबित करने का ही अवसर प्रदान नहीं किया जो न्याय के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है।

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व जैर अपील पारित करने में सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी की है। ऐसी स्थिति में निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2016 निरस्त फरमायी जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह आदेशिका दिनांक 15.03.2016 के मुताबिक प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट को तलब कर विधिवत रूप से प्रतिवादी को जवाब का अवसर प्रदान करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य लेकर विधिवत रूप से प्रकरण का पुनः निर्णय पारित करें।

अपील संख्या 2019/00049 की बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं फाईनल डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद यह मानकर फाईनल डिक्री पारित करने का आदेश दिया कि बंटवारे के मामले में वादी एवं प्रतिवादीगण या अन्य किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवायी है। अतः बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। जबकि वक्त पेपर पार्टीशन मौके पर पटवारी हल्का द्वारा भी अपीलांट को नहीं बुलाया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद भी अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया। ऐसी स्थिति में फाईनल डिक्री बंटवारे के नियम 18 से 21 के पूर्णतया विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारा रिपोर्ट नियम 18 से 21 के तहत नहीं बनाया गया। पक्षकारान को मौके पर तलब नहीं किया गया एवं बंटवारे के नियम के तहत तहसीलदार भी स्वयं मौके पर नहीं गये। केवल पटवारी हल्का के द्वारा बंटवारा पत्र तैयार कर दिया गया, जो कानूनी प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है। विवादित आराजी के मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने तलबी प्रतिवादीगण की स्टेज पर ही अपीलांट को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रकरण का राजस्व लोक अदालत में अपीलांट की गैर मौजूदगी में व सुनवायी का अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर दिया और उसी आधार पर पटवारी रिपोर्ट मंगवा ली जो कानूनन अवैधानिक है। प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध अपीलांट ने पृथक से अपील प्रस्तुत कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.01.2017 पर आपत्ति न होने बाबत अपीलांट का कोई अंगूठा निशानी नहीं है और न ही अन्य पक्षकार का है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 04.01.2017 निरस्त फरमायी जावे।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.01.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2023(1) पेज 247 व आर.आर.टी. 2017(2) पेज 1047 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया।

अपील संख्या 2019/00048 (प्राथमिक डिक्री) – अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली रेस्पोडेंट कम 2 के का0 मु0 का तलबाना दाखिल करने की कार्यवाही में चल रही थी जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.04.2016 व उसके बाद दिनांक 23.05.2016 नियत की गई थी। इसके उपरान्त दिनांक 15.06.2016 को पत्रावली कैम्प कोर्ट जगदीशपुरा न्याय आपके द्वार 2016 राजस्व लोक अदालत में रखी गयी है। लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित हुए अथवा नहीं यह कहीं भी आदेशिका में अंकित नहीं है और न ही आदेशिका पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। लोक अदालत हेतु पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया हो ऐसा कोई रेकार्ड भी पत्रावली पर सलंग्न नहीं है। लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें उभयपक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो अन्यथा सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है .।

अपील संख्या 2019/00049 (फाईनल डिक्री) – प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसील से बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 09.11.2016 प्राप्त किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तहसील द्वारा जो बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गये वरन पटवारी हल्का मौके पर गये और बंटवारा प्रस्ताव पर केवल पटवारी के ही हस्ताक्षर मौजूद है। जबकि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाना चाहिए। बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान में से किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही यह अंकित किया गया है कि पक्षकारान को मौके पर बुलाया गया था अथवा नहीं। इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2019/00048 (प्राथमिक डिक्री) एवं 2019/00049 (फाईनल डिक्री) अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.06.2016 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 04.01.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। इसके पश्चात् राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर फाईनल डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.06.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा